REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2018

रेलवेस्टेशन में बाल अपराध की प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (बिलासपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. नमिता शर्मा[1], फलेन्द्र कुमार[2]
[1]सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
[2]एम.एस.सी (अंतिम वर्ष) फोरेंसिक साइंस गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश

बच्चों में बढ़ती अपराध की प्रवृति दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । कहा भी गया है कि अपराधी बनाये नही बन जाते है। अधिक लाड़ प्यार में बच्चों की उचित व अनुचित मांगो को पूरा करना भी ऐसी बातें है जो बालक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल अपराध की ओर प्रेरित करता है। कुछ बातों का संबंध बच्चे की उम्र के साथ होता है, यदि किसी बच्चे की मां अथवा पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो जाये तो वात्यलय प्रेम से वंचित रहने के कारण बच्चा बड़ा होकर अपराध एवं नषे की लत की ओर आकृष्ट हो जाता है और इस प्रकार उसमें अनेक अपराध की प्रवृति पैदा हो जाती है आधुनिक समाज में संक्रमण शीलता के विस्तार, औद्योगीकरण के कारण सामाजिक संरचना, सामाजिक मुल्यों में परिवर्तन के पारिवारिक एवं सामुदायिक विघटन तेजी से हो रहा है। बाल अपराध मुलतः इन्ही परिस्थितियों की देन है।

शब्द कुंजी : बाल अपराध, आर्थिक, सामाजिक दशा जिम्मेंदार, पारिवारिक परिस्थिति जिम्मेदार, अशिक्षा

प्रस्तावना

बाल– अपराधों की बढती संख्या भविष्य के लिए खतरे का संकेत हैं। बच्चे भविष्य की धरोहर है, लेकिन सामाजिक कमजोरियों और सरकार के दलमल रवैये के चलते हमारी यह धरोहर लगातार पतन के रास्ते आगे बढ़ती जा रही हैं बाल अपराधों की बढती संख्या हमारे समाज के माथे एक ऐसा कलंक है जिससे तत्काल निजात पाने की जरुरत है। सामाजिक स्तर पर भीइसके अलग से कदम उठाने की आवश्यकता है इसके साथ–साथ माता पिता को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की जरुरत है अन्यथा हमारे देश का भविष्य खराब होता रहेगा।शहर के उपेक्षित बच्चों की आपराधिक गतिविधियों में लिप्तता दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उपेक्षा के शिकार के चलते ये बच्चे खेलने व पढने की उम्र में चोरी, जेब काटना, नशा, मारपीट सहित अन्य छोटे–मोटे अपराधों से जुड़ गए हैं। इनकी संख्या भी दिनोदिन बढ़ती जा रही है। मैनें 40 बालकों पर अपना अध्ययन किया ज्यादातर बालक को रेलवे स्टेशन की फुटपाथ पर ही दिन और रात गुजरता था तो कुछ शहर के किसी मिनी बस्ती से थे जिनमें से ज्यादातर बालक का उम्र 8 साल से 16 साल है।अधिकतम बालक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखे है जिसका संपूर्ण जीवन नशा करने, भीख मांगने,कबाड़ी बीनने और ताश खेलने में जा रहा है। उपरोक्त बालको के अभिवादको की आर्थिक स्थिति कमजोर है इसलिए इन बालको का उचित पालन पोषण करने में वे समर्थ नहीं है। अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया कि 80 प्रतिशत बालकों के पिता भी नशे के आदि है अतः पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इन बालकों की नशा की आदत के लिये जिम्मेदारी है ज्यादातर बालक छटवी कक्षा तक ही पढ़ पाये क्योंकि घर मे आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भी यह अपने अध्ययन को जारी नहीं रख सके।स्त्रोत :– बालकों और उसके सहपाठियों द्वारा बतायी गयी जानकारी के आधार पर।

उद्देश्य

1. बाल अपराध की समस्या के कारण जानना।
2. इन बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ताकि वे भी सामान्य नागरिक की भांति जीवन यापन कर सके।
3. बालकों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करना।

शोध प्रविधि

बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है जिस पर बदलते हुये परिवेश में शोध की नितांत आवश्यकता है। सभी अनुसंधान का आधारभूत उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं से होता सुविधानुसार 40 बच्चों का अध्ययन हेतु चयनित किया गया जिसमें मुख्य रेलवे परिक्षेत्र (द.पू.म.रे.) में आवासरत बालकों का चयन किया गया, तथ्यों आवश्कतानुसार प्रतिशत विधि का भी उपयोग किया गया।

तालिका : 1
बालकों का कक्षावार विवरण

क्रमांक	कक्षा	बालकों की संख्या	प्रतिशत
1.	पहली	5	12.5
2.	दूसरी	6	15.0
3.	तीसरी	5	12.5
4.	चौथी	7	17.5
5.	पांचवी	1	2.5
6.	छटवी	1	2.5
7.	अनपढ़	15	37.5
कुल		40	100

स्त्रोत :– अनुसूची के आधार पर।उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि 11 से15 साल वाले बालकों की संख्या सर्वाधिक है जिसमे 37.5 प्रतिशत बालक निरक्षर है। तथा 17.5 प्रतिशत बालकों ने चौथी कक्षा तक पढाई की है। इसके पश्चात 12.5 प्रतिशत बालक ऐसे है जिन्होंने केवल पहली कक्षा के पश्चात स्कूल जाना छोड़ दिया। अध्ययन के आधार पर यह नही कहा जा सकता है कि केवल निर्धनता ही अध्ययन छोड़ने के वजह भी रही होगी। क्योंकी ज्यादातर बालक प्रेरणा के अभाव तथा दबाव महसूस करने के कारण भी पढ़ाई नहीं कर पायें।

तालिका : 2
बालकों का आयु विवरण

क्रमांक	बालकोंकाआयु	बालकों की संख्या	प्रतिशत
1.	1 से 5 साल	1	2.5
2.	6 से 10 साल	7	17.5
3.	11 से 15 साल	22	55.0

4.	16 से 20 साल	10	25.0
कुल		40	100

स्त्रोत :– अनुसूची के आधार पर।उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि 11 से 15 साल वाले बालकों की संख्या सर्वाधिक है तथा कुछ बालक जिनकी आयु 1 से 5 वर्ष की है वे अपने पिता या माता के साथ भीख मांगने या कबाड़ उठाने का कार्य करते है। 6 से 10 साल तक के होने पर वह किसी समूह या स्वयं कोई न कोई छोटा मोटा कार्य करना आरम्भ कर देता है। 16– 20 तक के बालकों में बाल अपराधी प्रवृत्ति पनपना आरंभ हो जाता हैं।

तालिका : 3
बालकों का जातिगत विवरण

क्रमांक	जातिगत विवरण	बालकोंकी संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	7	17.5
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	30.0
3.	अनुसूचित जनजाति	10	25.0
4.	अनुसूचित जाति	8	20.0
5.	अन्य	3	7.5
कुल		40	100

स्त्रोत :– अनुसूची के आधार पर।उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों का है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जाति का अपराध से सहसंबंध नही है अपराध के लिये प्रायः निर्धनता, कम शिक्षा, उत्तरदायी हैं। तथा परिवारिक पृष्ठभूमि एवं सामाजिक परिवेश भी उत्तरदायीकरक है।

तालिका : 4
नशा करने वाले बालकों का विवरण

क्रमांक	बालकों का उम्र	बालकों का संख्या	प्रतिशत
1.	1 से 5 साल	0	0.0
2.	6 से 10 साल	7	17.5
3.	11 से 15 साल	21	52.5
4.	16 से 20 साल	10	25.0
5.	नशा नहीं करते	2	5.0
कुल		40	100

स्त्रोतः– अनुसूची के आधार पर।उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक नशा करने वालो बालकों का संख्या 11 से 15 साल वाले का है। क्योंकि इस आयु वर्ग तक बालकों पर अपने आसपास परिवेश के असर पड़ने लगता है ज्यादातर बालकों ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने साथी द्वारा ही नशा करने के लिय प्रेरणा लीहैं। 5 प्रतिशत बालकों ऐसे भी पाये गये जो नशे के आदि नही थे। 6– 10 साल तक के बालक गुटखा, तम्बाखू, लोगों की देखा देखी बीड़ी सिगरेट और नशीली प्रदार्थका नशा करते पाये गये।

तालिका : 5
बालकों के द्वारा किये गए अपराधों का विवरण

क्रमांक	अपराध	बालकों की संख्या	प्रतिशत
1.	चोरी, डकैत	0	0.0
2.	मारपीट करना	8	20.0
3.	भीख मांगना	7	17.5
4.	गाली गलोच करना	10	25.0
5.	अन्य प्रकार से अपराध	5	12.5

6.	अपराध नहीं किया	10	25.0
कुल		40	100

स्त्रोत :– अनुसूची के आधार पर।उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश बालक मारपीट, गाली गलौच,भीख मांगने जैसे अपराध करते है। रात्रिकालीन ट्रेन रुकने पर ये तुरंत वहां पहुच जाते है। जो समान मिलता है उसे उठाते है 17.5 बालक ने भीख मांगना स्वीकार किया। अध्ययन में पाया गया इन बालकों ने कोई बड़ी चोरी करना स्वीकार नहीं किया किन्तु आसपास के लोगो से पुछताछ के दौरान ये कहा गया कि ये बालक लोगो का मोबाइल, पर्स अवसर मिलने पर उठा लिया करते है।

तालिका : 6
मकान की उपलब्धता

क्रमांक	मकान	बालकों की संख्या	प्रतिशत
1.	मकान है	15	37.5
2.	मकान नहीं है	14	35.0
3.	अन्य	11	27.5
कुल		40	100

स्त्रोत :– अनुसूची के आधार पर।उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोगो के पास मकान तो है फिर भी अपना घर का उपयोग न करके अपना जीवन फुटपाथ में गुजारते है तथा कुछ लोगो के पास रहने के लिए मकान भी नहीं है। रेलवे के पास रहने से मुफ्त पानी व बिजली सुविधा उपलब्ध होते है और काम भी मिल जाता इसलिये ये लोग अपना गांव छोड़कर यहॉ बस जाते है।

तालिका : 7
बालकों द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण

क्रमांक	कार्य का प्रकार	बालकों का संख्या	प्रतिशत
1.	कबाड़ी बिन्ना	15	37.5
2.	ट्रैन डिब्बे में झाडू लगाना	9	22.5
3.	पाउच बेचना	2	5.0
4.	गाना गाकर पैसा कमाना	3	7.5
5.	भीख मांगना	7	17.5
6.	चाय दुकान में काम करना	2	5.0
7.	अन्य	2	5.0
कुल		40	100

स्त्रोत :– अनुसूची के आधार पर। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतम बच्चे कबाड़ी बीनने, झाडू मारने और भीख मांगने का काम करता हैं।ज्यादातर बालकों ने कबाड़ बीनना स्वीकार किया है क्योंकि ज्यादातर लोगों पानी का उपयोग कर बोतल रेलवे प्लेटफार्म में फेंक देते है जो इन बालको के लिए आय का साधन बन जाता हैं। कुछ बच्चे रेलवे में झाडू लगा कर लोगो से पैसा मांगना आरंभ कर देते है तो कुछ विभिन्न वेशभूषा एवं पोशाक धारण कर फिल्मी गाने गाते हुये लोगो का मनोरंजन करते है। उसके पश्चात लोगो से पैसा मांगते है 5 प्रतिशत बालक गुटका, तंबाकू, पान बहार इत्यादि के पाऊच बेचकर पैसा कमाते है अन्य 5 प्रतिशत बालको ने स्वीकार किया कि जो काम उन्हें मिल जाता है वे उसी कार्य को करते है जैसे जूता पालिश, बैग की मरम्मत इत्यादि।

तालिका : 1
बालकों का कक्षावार विवरण

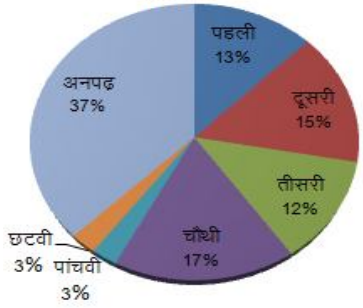

तालिका : 2
बालकों का आयु विवरण

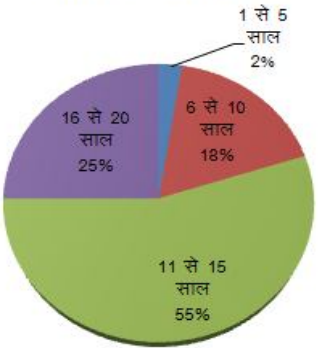

तालिका : 3
बालकों का जातिगत विवरण

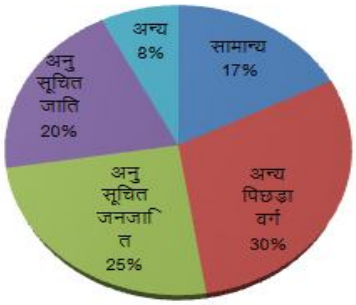

तालिका : 4
नशा करने वाले बालकों का विवरण

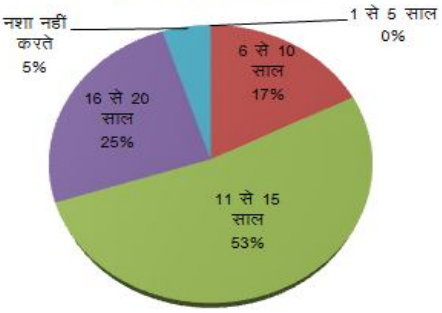

तालिका : 5
बालकों के द्वारा किये गए अपराधों का विवरण

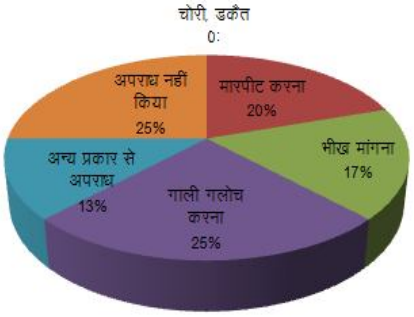

तालिका : 6
मकान की उपलब्धता

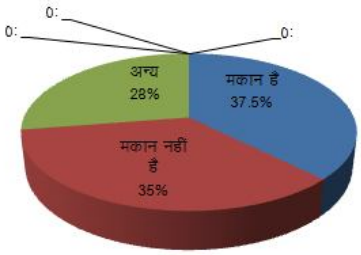

तालिका : 7
बालकों द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण

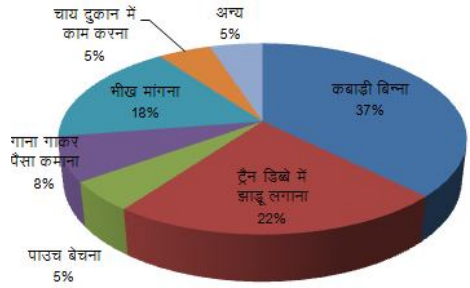

बाल अपराध

भारतीय कानून के अनुसार, सोलह वर्ष की आयु तक के बच्चे अगर कोई ऐसा कृत्य करें जो समाज या कानून की नजर में अपराध है तो ऐस अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। (संशोधित 2000) के अनुसर 8 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता है। हमारा कानून भी यह स्वीकार करता है कि किशोरों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिये किशोर बालक स्वयं नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं, इसी वजह से भारत समेत अनेक देशों में किशोर अपराधों के लिए अलग कानून और न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

बच्चों के अपराधी बनने के कारण

सामाजिक कारण–पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन, अस्थिरता, बुरी संगति, नष्ट घर, दोषपूर्ण अनुशासन, संस्कार का अभाव, अशिक्षित माता–पिता, भग्न परिवार, समाजीकरण की दोषपूर्ण प्रक्रिया, अवैध पितृत्व व अवांछनीय संतान, अनैतिक परिवार, सौतेले माता पिता, माता पिता के बच्चों के साथ पक्ष पातपूर्ण व्यवहार, अतिव्यस्त माता पिता, माता पिता से बच्चों की उपेक्षा, भीड़ भाड़ व गंदी बस्ती, बच्चों को समय न दिया जाना, पारिवारिक तनाव, भावनात्मक स्थिरता, अपराधी छेत्र का प्रभाव, अश्लील साहित्य, सूचना प्रोधोगिकी का सहज उपलब्ध हो पाना, दोषपूर्ण शिक्षा, अश्लील फिल्में और साहित्य पढ़ना, एकाकी पारिवारिक व्यवस्था, पश्चिम सभ्यता का अनुकरण एवं आधुनिकरण पर बल दिया जाना आदि.

आर्थिक कारण –गरीबी, बेकारी कारण छोटे बालकों का नौकरी करना,

मनोज्ञानिक कारण– निम्न बुद्धि स्तर, विशेष मानसिक योग्यता तथा अभिरुचियों की कमी,

बाल अपराध रोकने के उपाय

निरोधात्मक उपाय – सही समाजीकरण की प्रक्रिया को लागू करना – बच्चों को उचित ढंग से पालन पोषण, उचित शिक्षा, मनोवैज्ञानिक क्लिनिक की स्थापना करना, स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, घुमंतू टीचर की व्यवस्था करना, को ऑर्डिनेटिंग काउंसिल का निर्माण करना, किशोर न्यायालय, प्रोबेशन विभाग, स्कूल, पुलिस विभाग, अभिभावक के प्रतिनिधि परिवारों को टूटने से रोकना आदि। सुधारात्मक उपाय ––किशोर न्याय बोर्ड, सुधार गृह, बोर्स्टल संस्था, प्रमाणित विद्यालय या सुधारत्मक विद्यालय, रिमांड गृह, प्रोबेशन, फोस्टर गृह, सहायक गृह, परिवीक्षा होस्टल आदि।

सुझाव:–

- ❖ रेलवे प्लेटफॉर्म पर सफेद द्रव की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाए क्योंकि बच्चों में इस पदार्थ का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है।
- ❖ रेलवे प्लेटफॉर्म पर शारीरिक तथा सेक्स दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों को त्वरित रूप से मेडिकल उपचार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- ❖ कचरा बीनने वाले बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि वे रेलवे स्टेशन से प्लास्टिक हटाकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं।
- ❖ रेलवे स्टेशन के नजदीक एक बाल कल्याण समिति स्थित होनी चाहिए।
- ❖ बाल आश्रय गृह, जेल के सामान नहीं होने चाहिए, उनमें पुनर्वासित बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण एवं उपचार का घरेलू वातावरण होना चाहिए।
- ❖ बाल अपराध की रोकथाम के लिए सरकारी एजेन्सियों (जैसे समाज कल्याण विभाग) शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता।
- ❖ अश्लील फिल्में और साहित्य पढ़ना माता पिता को यह ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा कैसी फिल्में देखता है। क्योंकि अधिकांश बच्चे फिल्मों को देखकर ही प्रेरित होते हैं।
- ❖ पारिवारिक परिस्थितियां आमतौर पर बच्चा वही करता है जो वह परिवार से सीखता है, इसीलिए अगर उसका परिवार आपराधिक वारदातों में संलिप्त है तो उसका भी ऐसा करना स्वाभाविक हो जाता है ।

निष्कर्ष:–

बाल अपराध जैसी सामाजिक समस्या का हल केवल कानून द्वारा ही नही हो सकता, इस समस्या का हल तभी हो सकता है जब माता–पिता बच्चों के प्रति अपनी पूरी जिम्मेंदारी से काम लें बच्चों को नैतिक शिक्षा देकर सिगरेट व शराब पीने, अश्लील फिल्में विडियों देखने व जुये के अड्डों पर जाने , चोरी करने , हत्या करने, वेश्या वृति करने से रोकें। गैर सरकारी संस्थायें भी सरकारी प्रयासों के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, तभी हम गर्व से कह सकेंगे की बच्चे ही देश के भविष्य है।

संदर्भ सूचीः–

1. सदरलैंड प्रिसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी राइट्स ऑफ इंडिया प्रेस बॉम्बे 1965
2. एम. जे.डो. संथना 1964 सोसायटी एंड दी क्रिमिनल किताब महल बाम्बे
3. अनुसूची द्वारा प्राप्त आंकड़े
4. ''समाज मे बढ़ता बाल अपराध दोषी कौन'' व्ही. सेन.गुप्ता
5. डॉ. एस सी गुप्ता आधुनिक भारत अर्थव्यवस्था
6. भारत मे बाल अपराध ''डा. नरेंद्र कुमार शर्मा''
7. व्ही. सेनगुप्ता1', के.पी. कुर्रेसमाज में बढ़ता बाल अपराध दोशी कौन ?Int- J- Ad- Social Sciences 3¼2½% April & June]
8. विकिपीडिया https%//hi-m-wikipedia-org/wiki
9. https://www.prabhasakshi.com/news/currentaffairs/story/19902.html
10. http://www.ncr.indianrailways.gov.in/viewsection.jsp?lang=1&id=0,1,283,373,487,82
11. http://www.rachanakar.org/2012/05/blog-post_9217.html